

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)-29/2014-66(अम) /खाद्य,पटना-15,दिनांक- 03/02/15

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग, विपत्र कोड सं0-एन0- 3456000010006, मांग संख्या-18 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल 17,90,000 (रूपये सत्रह लाख नब्बे हजार) मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग, विपत्र कोड सं0-एन0-3456000010006, मांग संख्या- 18 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में द्वितीय अनूपूरक द्वारा प्राप्त राशि को वित्त विभाग के पत्रांक ब0-17/बी0सी0जी0/314/2014-69/वि0, दिनांक 20.01.2015 तथा पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में अवश्यकतानुसार/नियमानुसारा विषयांकित शीर्ष अन्तर्गत निम्नांकित तालिका के अनुसार मदवार आवंटित की जाती है ।

क्र0 स0	ईकाइ का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आय- व्ययक उपबंध	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वर्तमान उपबंध	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आवंटित राशि
1	01 01 वेतन	33,75,000	33,75,000	48,50,000	14,75,000
2	01 04 मकान किराया भत्ता	6,75,000	6,75,000	9,90,000	3,15,000
3	13 01 कार्यालय व्यय	10,00,000	10,00,000	10,00,000	
4	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	33,00,000	33,00,000	33,00,000	
5	14 01 किराया महसूल एवं कर	2,00,000	2,00,000	2,00,000	
6	52 01 मशीन एवं उपसकर	6,61,000	6,61,000	6,61,000	
	कुल योग:-	92,11,000	92,11,000	1,10,01,000	17,90,000

17,90,000 (रूपये सत्रह लाख नब्बे हजार) मात्र

2. उपर्युक्त आवंटित राशि विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग, विपत्र कोड सं0-एन0-3456000010006, मांग संख्या-18 गैर योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकलनीय होगी ।

3. इस राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जाएगी । राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है । गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।

4. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना से की जाएगी ।

5. कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख रखाव, किराया महसूल एवं कर एवं मशीन एवं उपसकर में आवंटित राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् ही की जाएगी ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि का ईकाइवार विवरणी निर्धारित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में अगले माह की 10वीं तारिक तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)29/2014

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)29/2014

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- प्र05(2)बजट(गै0यो0)29/2014 66(am) खाद्य, पटना/दिनांक- 03/02/15
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-06 एवं 05 (लेखा शाखा) (दो प्रतियों में) एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग, विपत्र कोड सं0-एन0-3456000010006, मांग संख्या-18 गैर योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकलनीय होगी ।

3. इस राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जाएगी । राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है । गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।

4. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना से की जाएगी ।

5. कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख रखाव, किराया महसूल एवं कर एवं मशीन एवं उपसकर में आवंटित राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् ही की जाएगी ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि का ईकाइवार विवरणी निर्धारित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में अगले माह की 10वीं तारिक तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)29/2014

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)29/2014

खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- प्र05(2)बजट(गै0यो0)29/2014 66(am) खाद्य, पटना/दिनांक- 03/02/15
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-06 एवं 05 (लेखा शाखा) (दो प्रतियों में) एवं आईटी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।